राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 459/2025

पर्वत कुमार

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. रामेश्वर चौधरी, सहायक पशु चिकित्सा, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, मथानिया, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक पशु चिकित्सक के पद पर पशु चिकित्सालय, बीजेएस, जोधपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, मथानिया, जोधपुर में दरस्थ स्थान पर किया गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्त ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी 53 वर्षीय कार्मिक है जो वर्ष 2013 से Epilepsy की गम्भीर बीमारी से पीडित (अनुलग्नक–2) है तथा अपीलार्थी के माताजी वृद्ध है, जो कर्क रोग की गम्भीर बीमारी से ग्रसित है (अनुलग्नक–3)। ऐसे में अपीलार्थी का दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किए जाने से

अपीलार्थी को यात्रा करने में कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। माननीय अधिकरण जोधपुर में दायर अपील संख्या 187/2025 दुर्गाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सहायक पशु चिकित्सक के पद पर पशु चिकित्सालय, बीजेएस, जोधपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, मथानिया, जोधपुर में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के बीमारी एवं पारिवारिक परेशानियों का प्रश्न है हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य